न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी –डॉ0सूरज सिंह नेगी

प्रार्थना पत्र संख्या 51/2021 तारीख रजू 01.09.2021

1. सरकार जरिये तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) मलारना डूंगर

..........प्रार्थी

बनाम

1. रमेश पुत्र ईसरलाल जाति खटीक निवासी मलारनाडूंगर तहसील मलारना डूंगर

.......अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक 14/12/22

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14 (4) तहसीलदार (भू.अ.) मलारनाडूंगर द्वारा आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 05.06.1973 के विरूद्व प्रस्तुत किया गया जिसके द्वारा अप्रार्थी रमेश पुत्र ईसरलाल जाति खटीक निवासी मलारनाडूंगर तहसील मलारना डूंगर को आराजी खसरा नम्बर 678 रकबा 2 बीघा वाके ग्राम मलारनाडूंगर में आदेश दिनांक 05/06/1973 द्वारा आवंटन किया गया था। अप्रार्थी को आवंटितशुदा खसरा नम्बर 678 रकबा 2 बीघा पर भू.अ. निरीक्षक वृत व पटवारी हल्का मलारनाडूंगर की रिपोर्ट के अनुसार उक्त ख0नं0 पर मौके पर आवंटी का कब्जा नहीं होने, आदिनांक तक जमाबन्दी में गैर खातेदार अंकित होने तथा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने के कारण आँवंटन को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थी की तलबी जरिये नोटिस की गयी अप्रार्थी जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये। अदालत मातहत से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

वकील पेरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया कि अप्रार्थी को आवंटितशुदा भूमि ख0न0 678 रकबा 2 बीघा पर भू.अ. निरीक्षक वृत व पटवारी हल्का मलारनाडूंगर की रिपोर्ट दिनांक 09.04.2021 के अनुसार आवंटी का मौके पर कब्जा काश्त नहीं है तथा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किया गया है। पुनःश्च पेरोकार सरकार ने अपनी बहस में बताया कि अप्रार्थी संख्या 1 के पिता को कब्जा नहीं होने से गैर खातेदारी से खातेदारी देने हेतु भरा गया नामान्तरकरण सं0 3996 आदेश दिनांक 25.03.2003 से अस्वीकृत हो चुका है तथा साथ ही गिरदावरी सम्वत 2074 के अनुसार भूमि मौके पर पड़त पडी है जिससे यह साफ जाहिर होता है कि अप्रार्थीगण का आवंटितशुदा भूमि पर कब्जा नहीं है। अंतः वकील पेरोकार सरकार द्वारा आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 05.06.1973 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:58:27 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

वकील अप्रार्थी ने वकील प्रार्थी की बहस का खण्डन करते हुये निवेदन किया गया है कि उक्त विवादित भूमि प्रार्थी रमेश के पति स्व. श्री ईसरलाल पुत्र रामचन्दर जाति खटीक निवासी मलारना डूँगर को आवंटन सलाहकार समिति की राय से आराजी खसरा नम्बर 678 रकबा 2 बीघा वाके ग्राम मलारना डूँगर आवंटन की गयी थी। उक्त भूमि पर आवंटन के समय से ही हमारा कब्जा काश्त चला आ रहा है। अप्रार्थी अनुसचित जाति के व्यक्ति है। आवंटन सलाहकार समिति के सदस्यो द्वारा सही रूप से उक्त भूमि को हमको आवंटन किया है जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी अडचन नहीं होने से तहसीलदार मलारनाडूंगर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज व तहसीलदार मलारना डूँगर से प्राप्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार एवं वकील उभय पक्ष द्वारा दी गयी दलीलो से मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचा हूँ कि आवंटन सलाहकार समिति के सदस्यो द्वारा आराजी खसरा नम्बर 678 करबा 2 बीघा किस्म चरागाह दिनांक 05.06.1973 को अप्रार्थी संख्या 1 के पिता स्व. ईसरलाल पुत्र रामचन्दर लाल जाति खटीक निवासी मलारना डूँगर को आवंटित की गयी थी। वकील अप्रार्थी द्वारा बहस में कथन किया गया है कि उक्त आवंटित भूमि आवंटन दिनांक से हमारे कब्जे काश्त में चली आ रही है तथा हम की उक्त भूमि पर काबिले काश्त है। किन्तु वकील प्रार्थी द्वारा कब्जे काश्त के सम्बन्ध में सम्वत् 2074 से पूर्व की एक भी वर्ष की गिरदावरी प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे साबित हो सके कि उक्त आवंटित भूमि पर अप्रार्थी का ही कब्जा काश्त है। भू.अ.निरीक्षक वृत व पटवारी हल्का मलारनाडूंगर की रिपोर्ट दिनांक 09.04.2021 के अनुसार आवंटी का मौके पर कब्जा काश्त नहीं है तथा आवंटन शर्तों की पालना नहीं किया जाना अपनी रिपोर्ट में अंकित किया गया है। इसके साथ ही पत्रावली के अवलोकन से अप्रार्थी संख्या 1 के पिता का कब्जा नहीं होने से गैर खातेदारी से ख़ातेदारी देने हेतु भरा गया नामान्तरकरण सं0 3996 आदेश दिनांक 25.03.2003 से अस्वीकृत हो जाने के तथ्य भी उभर कर आते हैं। अतः समस्त दस्तावेजात एवं वकील उभय पक्षो की दलील सुनने के पश्चात तहसीलदार मलारनाडूंगर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14 (4) स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार मलारना डूंगर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14 (4) स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी संख्या 1 के पिता स्व. ईसरलाल पुत्र रामचन्दर जाति खटीक निवासी मलारना डूँगर को आराजी खसरा नम्बर 678 करबा 2 बीघा वाके ग्राम मलारना डूँगर में किया गया आवंटन आदेश 05.06.1973 निरस्त किया जाता है। तहसीलदार मलारना डूँगर को निर्देशित किया जाता है कि वह पूर्वानुसार राजस्व रिकार्ड में भूमि को सिवायचक दर्ज करे।

निर्णय आज दिनांक 14.1[illegible]2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तामील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:58:27 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ0सूरज सिंह नेगी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर